संख्या- 54/2026/544के-2/22-3-2025-17(1318)/23

प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रघुराज सिंह पुत्र श्री रक्षपाल सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ़ की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04-08-2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रघुराज सिंह (बंदी संख्या-17534) पुत्र श्री रक्षपाल सिंह, जो उकावली, थाना-अकराबाद, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 28-02-2003/01-03-2003 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर 03 लाख रूपये की लूट की तथा कु0 विभा के साथ बलात्कार किया और गड़ासा से मारकर कु0 विभा की हत्या की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1194/2003 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-376, 394, 302 में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-13, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 16.11.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास की सजा के सापेक्ष दिनांक 03-06-2023 तक 10 वर्ष, 01 माह, 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष, 11 माह, 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बंदी की 57 वर्ष की आयु, आजीवन कारावास के सापेक्ष 10 वर्ष, 01 माह, 14 दिन की भोगी गई अपरिहार सजा, बंदी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रघुराज सिंह (बंदी संख्या-17534) पुत्र श्री रक्षपाल सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ़ की भारत का संविधान के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या-544(1)के-2/22-3-2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।